न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला शाहपुरा (राज0)

पीठासीन अधिकारी श्री पुनीत कुमार गेलड़ा, आर0ए0एस0

प्रकरण संख्या – **440/2022**

उनवान

सत्यनारायण पिता रामचन्द्र खाती निवासी माताजी का खेड़ा तहसील शाहपुरा

– प्रार्थी

बनाम

1–3 रतनलाल, गोदूलाल, मूलचन्द पिता देबीलाल खाती निवासी माताजी का खेड़ा तहसील शाहपुरा
4– श्योनारायण पुत्र माधू चमार निवासी माताजी का खेड़ा तहसील शाहपुरा
5– देवकिशन पुत्र बीरमा चमार निवासी माताजी का खेड़ा तहसील शाहपुरा
6– जगदीश पिता कजोड़ जाट निवासी माताजी का खेड़ा तहसील शाहपुरा
7– मूलचन्द पिता गोकल धाकड़ निवासी माताजी का खेड़ा तहसील शाहपुरा
8– किशनलाल पुत्र रामेश्वर जाट निवासी माताजी का खेड़ा तहसील शाहपुरा
9– मिश्रीलाल पिता गोकल धाकड़ निवासी माताजी का खेड़ा तहसील शाहपुरा
10– हरिराम पुत्र कल्याण चमार निवासी माताजी का खेड़ा तहसील शाहपुरा
11– तहसीलदार शाहपुरा जिला शाहपुरा

– विपक्षीगण

उपस्थिति :– **1– श्री योगेन्द्र सिंह भाटी :– अधिवक्ता प्रार्थी**
2– त्रिलोक चंद नौलखा :– अधिवक्ता विपक्षीगण 1, 2, 3

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1956

–:: निर्णय ::–

दिनांक– **06/09/2023**

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विपक्षीगण के प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है – **ग्राम माताजी का खेड़ा पटवार हल्का माताजी का खेड़ा** तहसील शाहपुरा जिला शाहपुरा में स्थित **आराजी नम्बर 144/1056 रकबा 0.05 है0, 148 रकबा 0.28 है0, 148/980 रकबा 0.28 है0, 149 रकबा 0.23 है0, 320/1055 रकबा 0.41 है0, 359 रकबा 1.15 है0, 361 रकबा 0.11 है0, 362 रकबा 0.16 है0, 836 रकबा 0.26 है0, 671 रकबा 0.25 है0, 837/2 रकबा 0.43 है0, 838/1 रकबा 1.17 है0** कुल **किता 12** रकबा **4.24** हैक्टेयर का प्रार्थी खातेदार काश्तकार है। उक्त वर्णित आराजियात के विपक्षीगण नं. 01 लगायत 10 पड़ौसी होने से आये दिन फसल काश्त करते समय व फसल काटते समय मौके पर विवाद करते है व सीमा संबंधी विवाद विपक्षीगण नं. 01 लगायत 10 द्वारा किये जाने कारण प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य आये दिन सीमा सम्बन्धी विवाद उत्पन्न होता रहता है। अतः पत्थरगढ़ी करवाई जावें।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। नियत पेशी दिनांक 17.01.2023 को विपक्षीगण सं0 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11 के सम्मन बाद तामिल प्राप्त हुए विपक्षीगण सं0 1, 2, 3 की ओर से अभिभाषक श्री त्रिलोकचंद नौलखा द्वारा अधिकार पत्र प्रस्तुत किया गया। विपक्षीगण सं0 5, 7, 9, 10, 11 बावजूद सूचना उपस्थित नही हुए। विपक्षीगण सं0 4, 6, 8 के सम्मन अदम तामिल लौटे। दिनांक 29.03.2023 को अभिभाषक प्रार्थी द्वारा विपक्षीगण सं0 4, 6, 8 की तलबी हेतु प्रोसेस सम्मन प्रस्तुत किये गये जिससे विपक्षीगण की तलबी की गयी। दिनांक 05.06.2023 को अभिभाषक विपक्षीगण सं0 1, 2, 3 द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना मय दस्तावेजात को रेकार्ड पर लिया गया एवं प्रकरण बहस के नियत किया गया। दिनांक 12.06.2023 को विपक्षीगण सं0 4 लगायत 11 बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं होने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गयी। दिनांक 20.07.2023 को प्रकरण में बहस उभयपक्ष सुनी गयी। बहस के पश्चात तत्कालीन पीठासीन अधिकारी द्वारा आदेश नहीं सुनाये जाने के कारण दिनांक 02.08.2023 को प्रकरण पुनः बहस के नियत किया गया। दिनांक 23.08.2023 को प्रकरण में पुनः बहस सुनी गयी। एवं प्रकरण वास्ते निर्णय के नियत किया गया।

बहस में अभिभाषक प्रार्थी ने बताया कि प्रार्थी की ओर से खाते की भूमि की रेकार्ड अनुसार पत्थरगढी कराये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजियात का प्रार्थी खातेदार काश्तकार है। पड़ौसी आये दिन सीमा संबंधी विवाद करते है। मैं खातेदार काश्तकार होकर कानूनी अधिकार रखता हूं। उक्त भूमि प्रार्थी के कब्जे काश्त में है। विपक्षीगण द्वारा जो जवाब प्रस्तुत किया गया है उसके पैरा सं0 07 में सजरा पेश किया गया है उसमें सत्यनारायण का नाम अंकित है जो मेरी जमाबंदी से ताईद होता है बाकि की ताईद में विपक्षीगण द्वारा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया है। विपक्षीगण द्वारा अपने जवाब में जो सजारा बनाया है उससे मेरे प्रार्थना पत्र की पुष्टि होती है। विपक्षीगण द्वारा अपने जवाब में विपक्षीगण द्वारा अपना कब्जा भी होना बताया है किन्तु कब्जे की पुष्टि के संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। पटवारी द्वारा मौके पर भूमि का नाप चौख करने पर ही कब्जा प्रमाणित होगा। जवाब में विपक्षीगण द्वारा उक्त आराजियात

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलेक्टर
शाहपुरा राज.

रामचन्द्र के पुत्र सत्यनारायण एवं पत्नी भूरी के दर्ज रेकार्ड होना किन्तु कब्जा वारिसान का होना बताया है। किन्तु इस संबंध में विपक्षीगण द्वारा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है। जिससे कब्जा विपक्षीगण का साबित हो। एवं न ही ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत किया है जिससे मेरी पत्थरगढी रोकी जावे। इकरारनामा प्रस्तुत किया है वह रजिस्टर्ड नहीं है। मेरे द्वारा भूमि को पुश्तेनी नहीं माना है। भूमि मेरे खातेदारी में दर्ज रेकार्ड है। अतः निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पत्थगढी कराये जाने के आदेश प्रदान करावें।

बहस में अभिभाषक विपक्षीगण ने जवाब में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजियात प्रार्थी एवं जवाबदारान की पुश्तैनी होकर अपने हक हिस्से अनुसार प्रार्थी एवं जवाबदारान अपने पूर्वजों के समय से ही कबिज होकर उपयोग में लेते आ रहे है। मेरे जवाब के पेरा सं0 07 में जो सजरा बनाया गया है उसके काउण्टर में प्रार्थी द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रार्थी भी मानते है कि विपक्षीगण वारिसान है। पक्षकाराना के पूर्वज बालू के जीवनकाल से ही बालू की कृषि भूमि पर बालू के तीनों पुत्रों का कब्जा निरन्तर निर्बाध रूप से चला आ रहा है। किन्तु बालू की मृत्यु होने पर परम्परा अनुसार प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजियात का नामान्तरकरण सबसे बड़े पुत्र रामचन्द्र के नाम खोल दिया गया। एवं रामचन्द्र की मृत्यु के बाद उक्त पुश्तेनी आराजियात का रामचन्द्र के पुत्र सत्यनरायण एवं पत्नी भूरी के नाम दर्ज रेकार्ड कर दी गयी। किन्तु आराजियात पुश्तेनी है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण द्वारा सहमति से बंटवाड़ा कर रखा है। एवं जवाबदारान अपने हिस्से पर काबिज होकर काश्त कर रहे है। नारायण द्वारा अपने कब्जेशुदा भूमि का बिकाव कर दिया गया था। जिसका विक्रय पंजीयन सत्यनाराण एवं भूरी द्वारा करवाया गया किन्तु विक्रय की प्रतिफल राशि नारायण द्वारा प्राप्त की गयी थी। उक्त विक्रय की गयी भूमि के अतिरिक्त सम्पूर्ण भूमि एकचक है। इस अराजियात के संदर्भ में रास्ते के विवाद को लेकर पक्षकाराना के मध्य ईकरारनामा भी लिखा गया था जिसमें आराजियात के संयुक्त खातेदारी अधिकार की होना दर्ज किया गया है। यह इकरारनामा प्रार्थी के द्वारा लिखवाया जाक हस्ताक्षर किये गये है। जिससे स्पष्ट है कि आराजियात प्रार्थी एवं जवाबदारान की पुश्तैनी होकर संयुक्त खातेदारी में होकर कब्जे काश्त में चली आ रही है। हमारे कब्जे के संबंध में कोई काउण्टर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। चूंकि उक्त भूमि पुश्तेनी होकर जवाबदारान का विधिक रूप से जन्म से की अधिकार निहित होने से प्रार्थी को पत्थरगढी कराने का कोई अधिकार नहीं है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र गलत तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया गया है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

हमने बहस पर मनन एवं प्रकरण का अवलोकन किया। प्रस्तुत खाते की नकलों जमाबन्दी **ग्राम माताजी का खेड़ा पटवार हल्का माताजी का खेड़ा संवत् 2076 से 2079 खाता सं0 315, 312** अनुसार उपरोक्त वर्णित आराजीयात् प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है। विपक्षीगण द्वारा उपरोक्त वर्णित आराजियात के पुश्तैनी होने के संबंध में कोई राजस्व रेकार्ड/दस्तावेजात प्रस्तुत नहीं किये है। ना ही कोई राजस्व दस्तावेज प्रस्तुत किया है जिससे विपक्षीगण जवाबदारान का कब्जा होना साबित हो। कब्जा संबंधी रिपोर्ट उक्त आराजियात के नाप चौख से ही संभव है। वर्तमान प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आराजियात की पत्थरगढी कराये जाने से संबंधित है न कि कब्जा/खातेदारी निर्धारण किये जाने से संबंधित है। अतः उक्त आराजियात के कब्जे एवं खातेदारी का निर्धारण इस प्रार्थना पत्र में नहीं होगा इसके लिए विपक्षीगण अलग से वाद दायर करने हेतु स्वतंत्र है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड ग्राम माताजी का खेड़ी की जमाबंदी अनुसार प्रार्थी खातेदार काश्तकार है। जिससे प्रार्थी अपने खातेदारी की भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र **आंशिक स्वीकार** किया जाकर मौजा **माताजी का खेड़ा** में स्थित प्रार्थी की उपरोक्त खातेदारी की आराजीयात् में से **आराजी नम्बर 836 रकबा 0.26 है0 की किस्म क्रमशः गेमु0 पाल होने से उक्त आराजियात को छोड़कर शेष किता 11 रकबा 3.98 हैक्टेयर** की पुख्ता पत्थरगढ़ी पक्षकारान् की मौजूदगी में अगर मौके पर अन्य कोई विवाद न हो तो व कोई प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन न हो तो कब्जे में हस्तक्षेप नही करते हुये पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु तहसीलदार शाहपुरा को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्थरगढ़ी हेतु कमिश्नर फीस **1600/–** रूपये कायम किये जाते है, जो प्रार्थी से तहसीलदार शाहपुरा मौके पर प्राप्त करें। पत्थरगढ़ी मौका पर्चा पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम से हो। बाद तफसील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक **06/09/2023** को सरे ईजलास सुनाया गया।

(पुनीत कुमार गेलड़ा)
उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलक्टर
शाहपुरा जिला शाहपुरा

प्रतिलिपि :– तहसीलदार शाहपुरा के पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान् की मौजूदगी में नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावें।

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलक्टर
शाहपुरा जिला शाहपुरा